तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/09/23	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विप्रार्थी संख्या 04 का नाम विलोपित करने बाबत निवेदन किया व बताया कि विप्रार्थी संख्या 04 को भूल वंश पक्षकार बनाया गया जोकि प्रार्थी का सेढा पड़ौसी नहीं है इसलिए विप्रार्थी संख्या 04 का नाम आवेदन से विलोपित किया जावें। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 04 का नाम विलोपित किया जाकर संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया जाता है शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हो चुके है विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित रहे। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओ पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिसमें से प्रार्थीगणों एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थीगणों को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : वाद/2023/1195 दिनांक : 26/9/23

प्रार्थी
ओमप्रकाश पुत्र कानाराम वगैरा जाति जाट, निवासी हेमजी का तला तहसील बायतु

बनाम

विप्रार्थी
शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र वगैरा 9 जाति जाट, निवासी हेमजी का तला तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 223/2023

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा हेमजी का तला पटवार हल्का बायतु तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नं. 589/346 रकबा 2.0872 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/–जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 26/9/23

क्रमांक : वाद/2023/1196-1200

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवार हल्का बायतु तहसील बायतु जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रह कर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र कानाराम वगैरा
4. विप्रार्थी शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र वगैरा 9
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/नागाणा/गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बायतु